Shri Guru Nanak Degree College

(Affiliated to Kumaun University, Nainital)
Approved by NCTE & Ministry of HRD, Govt. of India, New Delhi
Department of B.Ed.

Ref. No. GNDC/3206

Date 04-11-2023

To Whom So Ever It May Concern

Regarding:-Status of "Composite/Multi-disciplinary Institution

As per Clause-2(b) and 8(1) of NCTE Regulation 2014 "Composite/Multi-disciplinary Institution" mean a duly recognized higher education Institution offering undergraduate or posraduate programs of study in the field of liberal Arts, Commerce & Management.

Our institute is running multiple courses I.e. B.Ed., B.A., B.Com., B.B.A. B.Com. (Hons.) & M.Com. And our Institute comes under the composite/Multi-disciplinary Institution category as per clause-2(b) and 8(1) NCTE Regulaion, 2014.

Manager
Shri Guru Nanak Degree College
Preet Vihar, Rudrapur

Fazalpur Mehrola, Preet Vihar, Rudrapur-263153, (Udham Singh Nagar) Uttarakhand
Mob. : 7895502176
E-mail : gndc.rdr@rediffmail.com | Website : www.gndcrdr.com

संख्या–2725 / जी0एस0 / शिक्षा / A3-27(4)/2018

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड

देहरादून : दिनांक : 17 अक्टूबर, 2018

महोदय,

विश्वविद्यालय के पत्र संख्या मान्यता / केयू / सम्बद्धता / 175 दिनांक 28.06.2018 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव व कुलपति जी की संस्तुति के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 राज्यपाल / कुलाधिपति महोदया द्वारा उ0प्र0 विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य)की धारा–37 (2) के अधीन निम्न संस्थान को निम्न पाठ्यक्रम में उनके सम्मुख अंकित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ–5 में वर्णित अवधि के लिए नवीन अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की गयी है :–

क्र0सं0	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	शैक्षणिक सत्र
1	2	3	4	5
1	श्री गुरूनानक डिग्री कॉलेज प्रीतिविहार, रूद्रपुर।	एम0कॉम0	60 सीट	सत्र 2018–19 हेतु नवीन अस्थाई सम्बद्धता।

1. संस्थान को अपने सभी मानक पूर्ण होनें तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का एक प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा, तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।
2. संस्थान को सम्बद्धता दिये जाने के सम्बन्ध में कुलपति की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि मानकों को पूर्ण कराते हुये सम्बद्धता के सम्बन्ध में कार्यपरिषद में लिये गये निर्णय की समयबद्ध / त्रैमासिक रिपोर्ट मा0 कुलाधिपति जी को प्रस्तुत करेंगे।
3. संस्थान / कॉलेज को शुल्क एंव प्रवेश के सम्बन्ध में शासन / विश्वविद्यालय / नियामक संस्था द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये गये नियमों एंव आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इसका उल्लंघन पाये जाने पर शासन / विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संस्थान / कॉलेज के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
4. कुलाधिपति / शासन / विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से संस्था का निरीक्षण किया जा सकता है और पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये गये मानकों / आदेशों का अनुपालन न करने पर संस्था के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
5. यदि नियामक संस्था, राज्य सरकार या अन्य एजेन्सी से मान्यता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति या मान्यता निरस्तीरण हेतु कोई आदेश / पत्र प्राप्त होता है, तो सस्थान के विरूद्ध तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी तथा प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
6. संस्थान द्वारा नियुक्त फैकल्टी स्टॉफ यदि किसी अन्य संस्थान में कार्यरत पाये जाने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होनें पर सम्बन्धित संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

क्रमशः / 2

Shri Guru Nanak Degree College Received Date 30/10/18 No. 783

30/10/2018

30/10/18

PRINCIPAL
Shri Guru Nanak Degree College
Rudrapur (U. S. Nagar)

7. संस्थान के कैम्पस में अन्य किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित इसी प्रकार का कोर्स संचालित हो, दशा में सम्बन्धित संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
8. संस्थान को उक्त सम्बद्धता यू0जी0सी0 विनियमन 2009 के प्राविधान के अन्तर्गत इस प्रतिबन्ध साथ प्रदान की जा रही है कि संस्थान तीन माह के भीतर फैकल्टी का अनुमोदन विश्वविद्यालय प्राप्त करेगा। विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों के प्रवेश से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि संस्थ द्वारा विश्वविद्यालय/शासन द्वारा निर्धारित मानकानुसार अर्ह फैकल्टी की तैनाती कर ली गई उक्त के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय एवं निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया जायेग यदि संस्थान में मानकानुसार अर्ह फैकल्टी तैनात नहीं पाई जाती है अथवा अन्य समस्त मानकों पूर्ण नही किया जाना पाया जाता है, तो विश्वविद्यालय एवं निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा ऐसे संस्थानों मान्यता समाप्त किये जाने के लिए संस्तुति/प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा। यदि ऐसे मामलों विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा शिथिलता बरती जाती है तो सम्बन्धित कार्मिक/सक्ष अधिकारी का व्यक्तिगत् उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अम में लायी जायेगी।
9. संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट तैयार की जायेगी, जिसमें संस्थान के अकादमिक, प्रशासकीय एवं अ आधारभूत सुविधाओं के उल्लेख के साथ–साथ शैक्षिक–शिक्षणेत्तर फैकल्टी की शैक्षिक/व्यावसायि योग्यताओं तथा उनके फोटोग्राफ भी प्रकाशित किये जायेगें तथा उसकी एक हार्डकापी शासन को उपलब्ध कराते हुए, वेबसाइट के सम्बन्ध में सूचना विश्वविद्यालय एवं कुलाधिपति कार्यालय उपलब्ध करानी होगी।
10. संस्थान में कार्यरत फैकल्टी एवं कर्मचारियों का वेतन इत्यादि का भुगतान राज्य सरकार ए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुरूप बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा, जिसव पुष्टि समय–समय पर विश्वविद्यालय/निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा की जायेगी।
11. संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 छात्र/छात्राओं को नियमानुस आरक्षण दिया जाना होगा।
12. पाठ्यक्रम हेतु अग्रेत्तर अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु कार्यवाही निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुरू विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत पूर्व किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या 2785 (1)/जी0एस0/A3-27(4)/2018 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य, सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

PRINCIPAL
Shri Guru Nanak Degree College
Rudrapur (U. S. Nagar).

आज्ञा से,

(एन0के0 पोखरियाल)
कुलाधिपति के उप सचिव।

संख्या– —— /जी0एस0/शिक्षा/A3-27(3)/2018

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड — देहरादून : दिनांक :17 अक्टूबर, 2018

महोदय,

विश्वविद्यालय के पत्र संख्या मान्यता/केयू/सम्बद्धता/175 दिनांक 28.06.2018 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव व कुलपति जी की संस्तुति के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 राज्यपाल/कुलाधिपति महोदया द्वारा उ0प्र0 विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37 (2) के अधीन निम्न संस्थान को निम्न पाठ्यक्रम में उनके सम्मुख अंकित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ–5 में वर्णित अवधि के लिए नवीन अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है :–

क्र0सं0	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	शैक्षणिक सत्र
1	2	3	4	5
1	श्री गुरूनानक डिग्री कॉलेज, प्रीतिविहार, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर।	बी0कॉम0 (आनर्स)	60 सीट	सत्र 2018–19 हेतु नवीन अस्थाई सम्बद्धता।

1. संस्थान को अपने सभी मानक पूर्ण होनें तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का एक प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा, तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।
2. संस्थान को सम्बद्धता दिये जाने के सम्बन्ध में कुलपति की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि मानकों को पूर्ण कराते हुये सम्बद्धता के सम्बन्ध में कार्यपरिषद में लिये गये निर्णय की समयबद्ध/त्रैमासिक रिपोर्ट मा0 कुलाधिपति जी को प्रस्तुत करेंगे।
3. संस्थान/कॉलेज को शुल्क एंव प्रवेश के सम्बन्ध में शासन/विश्वविद्यालय/नियामक संस्था द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये गये नियमों एंव आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इसका उल्लंघन पाये जाने पर शासन/विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
4. कुलाधिपति/शासन/विश्वविद्यलय द्वारा समय–समय पर स्वयं या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से संस्था का निरीक्षण किया जा सकता है और पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये गये मानकों/आदेशों का अनुपालन न करने पर संस्था के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
5. यदि नियामक संस्था, राज्य सरकार या अन्य एजेन्सी से मान्यता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति या मान्यता निरस्तीरण हेतु कोई आदेश/पत्र प्राप्त होता है, तो संस्थान के विरूद्ध तदनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
6. संस्थान द्वारा नियुक्त फैकल्टी स्टॉफ यदि किसी अन्य संस्थान में कार्यरत पाये जाने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होनें पर सम्बन्धित संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

Shri Guru Nanak Degree College — Received 30/10/18 No. 782 — Rudrapur (U.S. Nagar)

30/10/2018

30/10/18

क्रमशः /2

PRINCIPAL
Shri Guru Nanak Degree College
Rudrapur (U. S. Nagar)

7. संस्थान के कैम्पस मे अन्य किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित इसी प्रकार का कोर्स संचालित होने दशा में सम्बन्धित संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
8. संस्थान को उक्त सम्बद्धता यू0जी0सी0 विनियमन 2009 के प्राविधान के अन्तर्गत इस प्रतिबन्ध साथ प्रदान की जा रही है कि संस्थान तीन माह के भीतर फैकल्टी का विश्वविद्यालय से अनुमोद प्राप्त करेगा। विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों के प्रवेश से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि संस्थ द्वारा विश्वविद्यालय/शासन द्वारा निर्धारित मानकानुसार अर्ह फैकल्टी की तैनाती कर ली गई है उक्त के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय एवं निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया जायेगा यदि संस्थान में मानकानुसार अर्ह फैकल्टी तैनात नहीं पाई जाती है अथवा अन्य समस्त मानकों पूर्ण नही किया जाना पाया जाता है, तो विश्वविद्यालय एवं निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा ऐसे संस्थानों मान्यता समाप्त किये जाने के लिए संस्तुति/प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा। यदि ऐसे मामलों विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा शिथिलता बरती जाती है तो सम्बन्धित कार्मिक/सक्ष अधिकारी का व्यक्तिगत् उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमं में लायी जायेगी।
9. संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट तैयार की जायेगी, जिसमें संस्थान के अकादमिक, प्रशासकीय ए आधारभूत सुविधाओं के उल्लेख के साथ–साथ शैक्षिक–शिक्षणेत्तर फैकल्टी की शैक्षिक/व्यावस योग्यताओं तथा उनके फोटोग्राफ भी प्रकाशित किये जायेगें तथा उसकी एक हार्डकापी शासन को उपलब्ध कराते हुए, वेबसाइट के सम्बन्ध में सूचना विश्वविद्यालय एवं कुलाधिपति कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी।
10. संस्थान में कार्यरत फैकल्टी एवं कर्मचारियों का वेतन इत्यादि का भुगतान राज्य सरकार ए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुरूप बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा, जिसव पुष्टि समय–समय पर विश्वविद्यालय/निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा की जायेगी।
11. संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 छात्र/छात्राओं को नियमानुस आरक्षण दिया जाना होगा।
12. पाठ्यक्रम हेतु अग्रेत्तर अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु कार्यवाही निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुरू विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत पूर्व किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या 2712 (1)/जी0एस0/A3-27(3)/2018 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य, सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(एन0के0 पोखरियाल)
कुलाधिपति के उप सचिव

Bhavej
PRINCIPAL
Shri Guru Nanak Degree College
Rudrapur (U. S. Nagar)

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL

दिनांक: 31/12/2019

पत्रांक: केयू/मान्यता/2019/1126

सेवा में,

प्राचार्य,
श्री गुरूनानक डिग्री कॉलेज, प्रीति बिहार कॉलोनी,
रूद्रपुर, (ऊधमसिंह नगर)।

महोदय,

मा0 कुलाधिपति सचिवालय के पत्रांक पत्रांक–296/जी0एस0/शिक्षा/A4-135-11/2019 दिनांक 26 अप्रैल, 2019 में एक बार समाधान के आधार (One Time Solution) पर दिये गये पूर्वानुमोदन एवं विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की 142वीं शेष बैठक दिनांक 06.12.2019 के मद सं0 02 में लिये गये निर्णयानुसार आपके महाविद्यालय से सम्बन्धित निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को उनके सम्मुख अंकित सत्रों की नवीन/अस्थाई सम्बद्धता निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है, साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि, उक्त सम्बद्धता एक बार समाधान के आधार पर प्रदान की गयी है इसको भविष्य हेतु दृष्टान्त न समझा जाए एवं आगामी सत्रों की सम्बद्धता हेतु अपने स्तर की समयबद्ध आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें:

क्रम0सं0	पाठ्यक्रम का नाम	अस्थाई सम्बद्धता सत्र
1.	बी0 ए0 – हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, एवं गृहविज्ञान।	सत्र 2010–11 से 2018–19 तक अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण।
2.	बी0 कॉम0	सत्र 2012–13 से 2018–19 तक अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण।
3.	बी0 एड0 (100 सीट)	सत्र 2017–19 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण।
4	बी0बी0ए0	सत्र 2009–10 की नवीन अस्थाई सम्बद्धता एवं सत्र 2010–11 से 2018–19 तक अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण।

1. संस्थान को अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का एक प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा तथा विश्वविद्यालय इस की पुष्टि सुनिश्चित करेगा।
2. संस्थान/कॉलेज को शुल्क एवं प्रवेश के संबंध में शासन/ विश्वविद्यालय/नियामक संस्था द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये गये नियमों एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इसका उल्लघन पाये जाने पर शासन/विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज के विरूद्ध जांच कर यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
3. कुलाधिपति/शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर स्वयं या अपने प्राधिकृति प्रतिनिधि के माध्यम से संस्था का निरीक्षण किया जा सकता है और पाठ्यक्रम हेतु सम्बन्धित नियामक संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किये गये मानकों/आदेशों का अनुपालन न करने पर संस्था के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
4. यदि नियामक संस्था, राज्य सरकार या अन्य एजेंन्सी से मान्यता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति या मान्यता निरस्तीकरण हेतु कोई आदेश/पत्र प्राप्त होता है, तो संस्थान के विरूद्ध तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी तथा प्रवेश की अनुमति नही दी जायेगी।
5. संस्थान द्वारा नियुक्त फैकल्टी स्टॉफ यदि किसी अन्य संस्थान में कार्यरत पाये जाने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार यथोचित् कार्यवाही की जायेगी।
6. संस्थान के कैम्पस मे अन्य किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित इसी प्रकार का पाठ्यक्रम संचालित होने की दशा में सम्बन्धित संस्थान के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
7. छात्रों के प्रवेश से पूर्व संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय/शासन द्वारा निर्धारित मानकानुसार अर्ह फैकल्टी की तैनाती कर ली गई है। उक्त के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय एवं निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा संस्थान का निरीक्षण किया जायेगां। यदि संस्थान में मानकानुसार अर्ह फैकल्टी तैनात नहीं पाई जाती है अथवा अन्य समस्त मानकों को पूर्ण नहीं किया जाना पाया जाता है, तो विश्वविद्यालय एवं निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा ऐसे संस्थानों की मान्यता समाप्त किये जाने के लिए संस्तुति/प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।

Dr. Vinita Pande.
Dr. Neeraj Jaiswal.

3/1/2020

PRINCIPAL
Shri Guru Nanak Degree College
Rudrapur (U. S. Nagar)

राज्यपाल सचिवालय उत्तरांचल
देहरादून

संख्याः /जी.एस./(172)/सम्ब0/2005
देहरादून दिनांक 14 जून 2005

प्रेषक,

राज्यपाल/कुलाधिपति के सचिव,
उत्तरॉचल ।

सेवा में,

कुल सचिव,
कुमांऊ विश्वविद्यालय,
नैनीताल ।

महोदय,

आपके पत्रांक दिनांक 10–05–2005 एवं मानव संसाधन विकास विभाग (उच्च शिक्षा) की पत्रावली सं0–490/(XXIV(6)/2005 की संरतुति के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा 37–(2) (यथा प्रवृत्त उत्तरांचल राज्य) के अधीन श्री गुरूनानक डिग्री कालेज, प्रीत विहार कालोनी, रूद्रपुर–उधमसिंहनगर को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, संगीत, गृह विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0काम0 पाठ्यक्रमों में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत दिनॉक 01–07–2005 से दिनॉक 30–06–2006 तक (एक वर्ष) की अवधि के लिए अस्थायी सम्बद्धता की स्वीकृति निम्न लिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान कर दी है :–

1. संस्था द्वारा संस्थान में उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों का प्रवेश, फीस आदि शासनादेश संख्या–1960/सत्तर–2–97(85) 97, दिनांक 11–11–97 के अनुसार या भविष्य में समय–समय पर जारी शासनादेश तथा विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारण के आधार पर लिया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त संस्थान को व्यावसायिक आधार पर संचालित नहीं किया जायेगा।

2. उपरोक्त शासनादेश दिनांक 11–11–97 में विनिर्दिष्ट शर्तों/मानकों के अनुसार या भविष्य में समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार संस्थान में शिक्षकों की भर्ती आदि की जायेगी। इस आशय का शपथपत्र विश्वविद्यालय को दिया जायेगा।

3. सस्था द्वारा शासन/माननीय कुलाधिपति महोदय/स्टेट्यूटरी बॉडी के आदेशों/निर्देशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।

4. संस्था विश्वविद्यालय की परिनियमावली में उल्लिखित अस्थाई सम्बद्धता से सम्बन्धित परिनियमों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करेंगी।

क्रमश....2

Principal
Shri Guru Nanak Degree College
Rudrapur (U.S.Nagar)

Scanned by TapScanner

5. विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि संस्थान में अध्यापकों की नियुक्ति मानकों के अनुसार प्रबन्ध समिति द्वारा कर ली गयी है।
6. संस्था द्वारा दूसरे विश्वविद्यालय का कोई दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्र संचालित नहीं किया जायेगा।
7. छात्रों से विश्वविद्यालय/शासन द्वारा निर्धारित अधिकतम शुल्क ही लिया जायेगा।
8. संस्था द्वारा पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु अर्ह शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जिसकी पुष्टि विश्वविद्यालय द्वारा की जानी होगी।
9. पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने से पूर्व प्राभूत की निर्धारित धनराशि कुलसचिव के नाम प्लेज्ड की जानी होगी।
10. भविष्य में अग्रेत्तर अवधि का विस्तरण का प्रस्ताव उपलब्ध कराने से पूर्व सभी कमियों को पूर्ण किये जाने की दशा में ही प्रस्ताव महामहिम कुलाधिपति/शासन के उच्च शिक्षा विभाग को प्रस्तुत किया जायेगा अन्यथा उल्लिखित तिथि की समाप्ति पर अस्थाई सम्बद्धता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।

एन0 रवि शंकर
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या– 154/जी0एस0(172)/सम्ब0/2005 तददिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी (नैनीताल)।
3. प्राचार्य, श्री गुरूनानक डिग्री कालेज, प्रीत विहार, रूद्रपुर–उधमसिंहनगर।
3. शिक्षा विभाग की पत्रावली हेतु।
4. गार्ड फाइल हेतु ।

भूपिन्दर कौर
(डा0 भूपिन्दर कौर)
कुलाधिपति के अपर सचिव।

Principal
Shri Guru Nanak Degree College
Rudrapur (U.S.Nagar)

Scanned by TapScanner